संख्या- 997/नौ-5-2006-24/ग0/2002

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2006

विषय:- अरबन रिफार्म इन्सेन्टिव फण्ड योजना (यूरिफ) के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार सहायतित अरबन रिफार्म इन्सेन्टिव फण्ड योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में सम्पत्ति कर यूजर चार्जेज एवं दोहरी लेखा प्रणाली में सुधारों के क्रियान्वयन एवं योजनान्तर्गत समस्त बिन्दुओं के अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय नगरीय सुधार अनुश्रवण समिति की दिनांक 27.12.05 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अरबन रिफार्म इन्सेन्टिव फण्ड योजना (यूरिफ) के अन्तर्गत कतिपय सुधारों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में शासनादेश संख्या- जी0आई0-127/9-5-2004-247सा/ 2002 दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 द्वारा रू0 30.2250 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त धनराशि उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में संग्रहीत है, में से निम्नलिखित नगर निगमों को उनके सामने अंकित कार्यों हेतु धनराशि निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

क्र0 सं0	निकाय का नाम	मद	धनराशि (लाख रू0)
1.	न0नि0, लखनऊ	कम्प्यूटराइजेशन प्रापर्टी रिफार्मस कार्यक्रम के अन्तर्गत जी.आई.एस. तकनीकी से आवासीय परिसम्पत्तियां चिन्हित किये जाने हेतु	50.00 45.00
2.	न0नि0, कानपुर	कम्प्यूटराइजेशन जी0आई0एस0	50.00 140.00
3.	न0नि0, आगरा	म्यूनिसिपल रिफार्मस योजना के अन्तर्गत सुधारों की निरन्तरता को बनाये रखने हेतु	98.86
		योग	**383.86**

(रू0 तीन करोड़ तिरासी लाख छियासी हजार मात्र)

2- समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त स्वीकृत धनराशियों के सापेक्ष दो समान किश्तों में धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। पहली किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उसका परीक्षण कर संस्तुत किये जाने पर दूसरी किश्त जारी की जायेगी।

3- जिन कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना अथवा कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो का तकनीकी एवं वित्तीय अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

5- अतः कृपया संबंधित नगर निगमों को उपरोक्तानुसार पी०एल०ए० मे धनराशि आवंटित कर उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-696/दस-2006, दिनांक 07 अप्रैल, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं, परन्तु वित्त विभाग की सहमति इस शर्त के अधीन है कि उपर्युक्त युरिफ योजना से व्यावर्तन के संबंध में भारत सरकार से यदि कोई दिशा-निर्देश प्राप्त होते है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, कानपुर एवं आगरा।
4- वित्त-ई-8
5- संबंधित वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

(104)

88